रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2018/चैत्र 7, 1940

No. 110] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2018/CHATRA 7, 1940

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2018

फा. सं. ओआई-11014/10/2018-ओआईए-II.—राष्ट्रपति जी, भारत सरकार की नीचे सूचीबद्ध अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार (एतस्मिन पश्चात पुरस्कार के रूप में संदर्भित) को प्रशासित करने वाले विनियमों को निम्नानुसार सहर्ष संशोधित करते हैं:-

अधिक्रमित पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं की सूची		
क्र. सं.	अधिसूचना की संख्या	तारीख
1.	1/5/2002-पब्लिक	15.11.2002
2.	ओआई-11014/5/2006-डीएस	26.05.2006
3.	सं. ओआई-11014/1/2007-डीएस	24.09.2007
4.	सं. ओआई-11014/1/2007-डीएस	16.07.2008
5.	सं. ओआई-11014/1/2010-डीएस	06.08.2010

6.	सं. ओआई-11014/1/2010-डीएस	22.02.2012
7.	सं. ओआई-11014/1/2010-डीएस	22.07.2014
8.	सं. ओआई-11014/37/2016-ओआईए II	14.07.2016

I सामान्य जानकारी

1. इस पुरस्कार को "प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार" पुकारा जाएगा
2. यह पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले अनिवासी भारतीय, भारतीय मूल के व्यक्ति; या अनिवासी भारतीयों अथवा भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा स्थापित और संचालित संगठन या संस्था को प्रदान किया जाएगा:

क. विदेशों में हासिल उपलब्धियों के लिए

(क) विदेशों में भारत की बेहतर समझ;

(ख) भारत के हितों और सरोकारों का ठोस तरीके से समर्थन;

(ग) भारत, प्रवासी भारतीय समुदाय और उनके निवास के देश के बीच घनिष्ठ संबंध बनाना;

(घ) भारत या विदेशों में सामाजिक और मानवीय हितों के कार्य;

(ङ) स्थानीय भारतीय समुदाय के कल्याण के कार्य;

(च) लोकोपकारी और पुण्यार्थ कार्य;

(छ) स्वयं के क्षेत्र में उत्कृष्ट अथवा विशिष्ट कार्य जिससे निवास के देश में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी हो;

(ज) कौशल में उत्कृष्टता जिससे उस देश में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी हो (गैर-पेशेवर श्रमिकों के लिए)।

ख. भारत के भीतर हासिल उपलब्धियों के लिए

(क) भारत में लोकोपकारी निवेश और पुण्यार्थ कार्य;

(ख) भारत के विकास के प्रति किए गए योगदान

3. प्रत्येक एकान्तर वर्ष में प्रदान किये जाने वाले पुरस्कारों की अधिकतम संख्या तीस (30) होगी।

4. पुरस्कार के रूप में भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मोहर के साथ एक प्रशंसापत्र और उसके साथ एक प्रशस्ति, एक स्वर्ण पदक और एक लैपेल पिन जो पदक के लघु आकार के रूप में होगा प्रदान किया जाएगा

5. प्रशंसापत्र 24"×18" आकार के हस्तनिर्मित कागज़ पर मुद्रित होगा

6. पदक वृत्ताकार होगा, जिसकी मोटाई 2.9 मिमी., ब्यास 50.8 मिमी. होगी और वह 22 कैरेट स्वर्ण से निर्मित 60 ग्राम वज़न का होगा। उसके 30 मिमी. के आंतरिक ब्यास में प्रवासी भारतीय दिवस का प्रतीकचिह्न खुदा होगा। पदक के बाहरी पट पर सामने की और मीनाकारी की गई होगी पदक के पीछे की तरफ बीच में राष्ट्रीय प्रतीकचिह्न पुरस्कार के नाम प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से घिरा हुआ खुदा होगा।

7. पदक को एक इंच चौड़े तिरंगे फीते के साथ गले में पहनाया जाएगा।

8. लघु-पदक, जो वर्गाकार होगा, जिसके बीच में प्रवासी भारतीय दिवस का प्रतीकचिह्न खुदा होगा, और जिसके दोनों तरफ मीनाकारी की गई होगी, जिसे पुरस्कार-विजेता खास अवसरों पर पहन सकेंगे, एक 10 ग्राम के वज़न वाले स्वर्ण-पट्टित रजत लैपेल-पिन पर प्रदान किया जाएगा

II. पुरस्कार हेतु नामांकन भेजने के लिए पात्र प्राधिकृत व्यक्ति या संगठन

9. निम्नलिखित प्राधिकृत व्यक्ति या संगठन निर्धारित तारीख और समय के भीतर विहित प्रपत्र में पुरस्कार हेतु उत्कृष्ट व्यक्तियों, संगठनों या संस्थाओं के नामांकन भेजने के पात्र होंगे:

क) भारत में राज्यों के राज्यपाल और संघ शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल;

ख) विदेश स्थित भारतीय राजनयिक मिशनों के प्रमुख/भारतीय राजनयिक केन्द्रों के प्रमुख तथापि, विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों के प्रमुख अपने प्रत्यायन देश में भारतीय समुदाय की जनसंख्या के आकार को ध्यान में रखते हुए नामांकन की अधिकतम संख्या 3 से 5 तक के बीच सीमित कर सकते हैं

ग) विदेश मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष और सदस्यगण

घ) विदेश मंत्रालय द्वारा यथानिर्णीत राष्ट्रीय स्वरूप के प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय संघों के कार्यकारी प्रमुख । तथापि, ऐसे संघ अपने स्वयं के पदाधिकारियों को नामित नहीं कर सकते हैं

ङ) प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के पूर्व विजेतावृंद ।

च) स्वतः नामांकनः पुरस्कार के लिए पात्र कोई व्यक्ति या संगठन विदेश मंत्रालय को नामांकन प्रपत्र भेजकर सीधे स्वयं अपने-आपको नामांकित कर सकता है ।

10. ज्यूरी-सह-पुरस्कार समिति भी अपनी और से इन विनियमों में वर्णित क्षेत्रों से व्यक्तियों का नामांकन कर सकती है । तथापि, ज्यूरी-सह-पुरस्कार समिति द्वारा अपनी और से नामांकित किये गये व्यक्तियों की संख्या छह से अधिक नहीं होगी । ऐसे सभी मामलों में ज्यूरी-सह-पुरस्कार समिति की सिफारिशें अंतिम होंगी

III. <u>जांच समिति</u>

11. विदेश मंत्रालय द्वारा गठित अधिकारियों की एक समिति प्राप्त नामांकनों की उनकी पूर्णता सुनिश्चित करने की दृष्टि से जाँच करेगी और ज्यूरी-सह-पुरस्कार समिति के कार्य को सहज बनाने के लिए प्रत्येक नामिती के संबंध में एक लघु-विवरणी तैयार करेगी ।

IV. <u>ज्यूरी-सह-पुरस्कार समिति</u>

12. नामांकन और लघु-विवरणी निम्नलिखित को मिलाकर बनी ज्यूरी-सह-पुरस्कार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाएंगे:

(क) भारत के उप राष्ट्रपति	- अध्यक्ष
(ख) विदेश मंत्री	- उपाध्यक्ष
(ग) प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव	- सदस्य
(घ) गृह सचिव	- सदस्य
(ङ) विदेश सचिव	- सदस्य
(च) प्रधान मंत्री द्वारा नामित पाँच सदस्य	- सदस्य
(छ) विदेश मंत्रालय में प्रवासी भारतीय मामले को देख रहे सचिव या अपर सचिव	- सदस्य सचिव

13. ज्यूरी-सह-पुरस्कार समिति की सिफारिश प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाएगी।

14. बहुत असाधारण स्थितियों में ही जब पुरस्कारों की घोषणा होने से एक वर्ष पहले व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो पुरस्कार मरणोपरान्त प्रदान किया जाएगा अन्यथा नहीं ।

V. पुरस्कारों को प्रदान किया जाना

15. पुरस्कार विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किये जाने वाले औपचारिक समारोह में यथासंभव प्रत्येक एकांतर वर्ष के जनवरी माह में प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान प्रदान किये जाएंगे।

16. पुरस्कार राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री द्वारा, इन गणमान्य व्यक्तियो की उपलब्धता के आधार पर, प्रदान किये जाएंगे ।

17. पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों के नाम पुरस्कार प्रदान किये जाने वाले दिन से पहले भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये जाएंगे।

18. प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों की संस्थापना के साथ ही अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति पद्म पुरस्कारों के लिए पात्र बने रहेंगे और पद्म पुरस्कार-विजेता प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के पात्र होंगे।

19. राष्ट्रपति किसी पुरस्कार-विजेता के संबंध में बाद में कोई प्रतिकूल जानकारी प्रकाश में आने पर उसके पुरस्कार को रद्द और अकृत कर सकते हैं ।

डॉ. मनोज कुमार महापात्र, संयुक्त सचिव (ओआईए-II)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2018

F. No. OI-11014/10/2018-OIA-II.—In supersession of the notifications of the Government of India listed below, the President is pleased to revise the regulations governing the Pravasi Bharatiya Samman Awards (hereafter referred to as the Award), as follows:–

List of previous notifications superseded

Sl. No.	Number of Notification	Date
1.	1/5/2002-Public	15.11.2002
2.	OI-11014/5/2006-DS	26.05.2006
3.	No.OI-11014/1/2007-DS	24.09.2007
4.	No.OI-11014/1/2007-DS	16.07.2008
5.	No.OI-11014/1/2010-DS	06.08.2010
6.	No.OI-11014/1/2010-DS	22.02.2012
7.	No.OI-11014/1/2010-DS	22.07.2014
8.	No.OI-11014/37/2016-OIA II	14.7.2016

I. General Information

1. The Award shall be known as "Pravasi Bharatiya Samman Award".

2. The Award shall be conferred on a Non-Resident Indian, Person of Indian Origin; or an organisation or institution established and run by Non-Resident Indians or Persons of Indian Origin, who has made significant contribution in any one of the following fields:

A. For Achievements Abroad

(a) Better understanding of India;

(b) Support to India's causes and concerns in a tangible way;

(c) Building closer links between India, the overseas Indian community and their country of residence;

(d) Social and humanitarian causes in India or abroad;

(e) Welfare of the local Indian community;

(f) Philanthropic and charitable work;

(g) Eminence in one's field or outstanding work, which has enhanced India's prestige in the country of residence; or

(h) Eminence in skills which has enhanced India's prestige in that country (for non-professional workers).

B. For Achievements within India:

(a) Philanthropic investments and charitable work in India;

(b) For contributions made towards India's Development.

3. The maximum number of Awards to be conferred every alternate year shall be thirty (30).

4. The Award shall carry a bilingual Sanad under the hand and the seal of the President of India in addition to a citation, a gold medallion and a miniature of the medallion in the form of a lapel pin.

5. The Sanad shall be printed in handmade paper of size 24″ x 18″.

6. The medallion shall be circular in shape, 2.9 mm in thickness and of diameter 50.8 mm, made from 60 grams of 22 carat gold. The logo of Pravasi Bharatiya Divas (PBD) would be etched into the inner circle of 30 mm diameter. The front side of the medallion would have minakari work etched in the outer circle. The backside of the medallion would have the National emblem in the middle, with the name of the award as Pravasi Bharatiya Samman Award, engraved around it.

7. The medal shall be worn around the neck by a tricolour ribbon of one inch in width.

8. A miniature of the medallion, in rectangular shape with the PBD logo engraved in the middle, and with minakari work on both sides, which may be worn on certain occasions by recipients, shall be mounted ona gold plated silver lapel-pin weighing 10 gms.

II. Authorized persons or Organisations eligible for making nominations to Award

9. The following authorised persons or organisations shall be eligible to nominate eminent persons, organisations or institutions for the Award within the stipulated date and time and in such format as may be prescribed:

a) Governors of States and Lt. Governors of Union Territories in India;

b) Heads of Indian Diplomatic Missions/Heads of Indian Diplomatic Posts abroad. However, Heads of Missions/Posts abroad may restrict the nominations to a maximum of 3 to 5 considering the size of Diaspora population in their country of accreditation.

c) Chairman and Members of the Parliamentary Standing Committee dealing with the Ministry of External Affairs.

d) The Executive Head of Prominent Overseas Indian Associations with nation-wide character as may be decided by the Ministry of External Affairs. However, the associations shall not nominate their own office bearers.

e) Previous awardees of Pravasi Bharatiya Samman Award.

f) Self Nomination: An individual or organization eligible for the Award may directly nominate himself/herself by sending the nomination forms to the Ministry of External Affairs.

10. The Jury-cum-Awards Committee can also make suo-moto nominations for persons from the fields mentioned in these regulations. However, the number of persons suo-moto nominated by the Jury-cum-Awards Committee shall not exceed six. In all such cases the recommendations of the Jury-cum-Awards Committee shall be final.

III. Screening Committee

11. A committee of officers constituted by the Ministry of External Affairs shall examine the nominations received with a view to ensure their completeness and draw up a short citation on each nominee to facilitate the work of the Jury-cum-Awards Committee.

IV. Jury-cum-Awards Committee

12. The nominations and citations shall be placed before the Jury-cum-Awards Committee comprising of:

(a)	Vice President of India	- Chairman
(b)	Minister of External Affairs	- Vice Chairperson
(c)	Principal Secretary to the Prime Minister	- Member
(d)	Home Secretary	- Member
(e)	Foreign Secretary	- Member
(f)	Five members to be nominated by the Prime Minister	- Member
(g)	Secretary or Additional Secretary dealing with Overseas Indian Affairs matters in The Ministry of External Affairs	- Member Secretary

13. The recommendation of the Jury-cum-Awards Committee shall be submitted to the Prime Minister and President for approval.

14. The Awards shall not be given posthumously except in very rare cases where the person had died within a year preceding the announcement of the Awards.

V. Conferring of the Awards

15. The Awards shall be presented at a formal ceremony to be organised by the Ministry of External Affairs, as far as possible, at the Pravasi Bharatiya Divas in January every alternate year.

16. The Awards shall be presented either by the President, Vice-President or Prime Minister, depending upon the availability of these dignitaries.

17. The names of the persons, upon whom the Award is conferred, shall be published in the Gazette of India prior to the day of presentation of the Awards.

18. With the institution of Pravasi Bharatiya Samman Awards, Non-Resident Indians and Persons of Indian Origin shall continue to be considered for Padma Awards and Padma Awardees shall be eligible for Pravasi Bharatiya Samman Award.

19. The President may cancel and annul an Award in the event of any adverse information on the awardees coming to light subsequently.

Dr. MANOJ KUMAR MOHAPATRA, Jt. Secy. (OIA-II)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.04.02 16:17:57 +05'30'